



Neutral Citation No. - 2026:AHC:181135

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8176 वर्ष 2026

यशस्वी उर्फ सोनी नाबालिग और अन्यआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : सुधीर भारती

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 615 सन् 2025, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 333, 117(2), 109 बी.एन.एस., थाना-बागपत, जनपद-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बागपत में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक नाबालिग हैं। उन्हें वर्तमान मामले में तेरह अन्य नामित अभियुक्तों तथा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकों को सामान्य भूमिका सौंपी गई है। बाद में, विवेचना के दौरान, आवेदक संख्या 2 की भूमिका इस रूप में निर्दिष्ट की गई कि उसने घायल प्रियंका के सिर पर चोट पहुंचाने के लिए डंडे का प्रयोग किया था। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त आशीष कश्यप उर्फ आशु तथा अजय कश्यप उर्फ बंटी को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के तहत, संख्या 3276 वर्ष 2026 और 4879 वर्ष 2026** में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि एक अन्य सह-अभियुक्त देवेंद्र कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के तहत संख्या 6246 वर्ष 2026** में निरस्त किया जा चुका है। आवेदकों के विरुद्ध विवेचना अभी लंबित है और उन्हें अभिरक्षा में पूछताछ के लिए आवश्यक किया जा सकता है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग बीस घंटे बाद पंद्रह व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त आशीष कश्यप उर्फ आशु तथा अजय कश्यप उर्फ बंटी को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के तहत, संख्या 3276 वर्ष 2026 और 4879 वर्ष 2026** में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक संख्या 1 महिला है और नाबालिग है। आवेदक संख्या 2 भी नाबालिग है। यद्यपि चार व्यक्तियों को चोटें आई हैं, तथापि घायल व्यक्तियों की किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक नहीं बताया गया है, सिवाय घायल गौरव को आई एक चोट के। सह-अभियुक्त अजय को घायल गौरव को चोट पहुंचाने की भूमिका सौंपी गई थी। आवेदक संख्या 2 को घायल प्रियंका को चोट पहुंचाने की भूमिका सौंपी गई है। प्रियंका को ऐसी कोई चोट नहीं आई है, जिसे जीवन के लिए खतरनाक अथवा गंभीर प्रकृति की माना जा सके। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियुक्तों की संख्या तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक नाबालिग हैं, आवेदकों को झूठे रूप से फंसाए जाने/अधिक रूप से फंसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

7. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक **यशस्वी उर्फ सोनी नाबालिग तथा शिवा एवं शिव सावन नाबालिग** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते



कि उनके प्राकृतिक संरक्षकों के माध्यम से संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत किए जाएं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :-

- i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे;
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर अभिमत नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सचिन

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!